

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

संख्या-06/VLT(BG)-13-35/2022

दिनांक-

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-5453 (अ) दिनांक-25.10.2018 एवं अधिसूचना संख्या-5454 (अ) दिनांक-25.10.2018 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 125(ज) के उपनियम-1 में विनिर्दिष्ट सभी सार्वजनिक सेवा यानों में VLTD एवं आपातकालीन बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में M/s Arya Omnitalk Wireless Solutions Pvt. Ltd. द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के आलोक में प्राधिकृत जाँच एजेंसी ARAI, Pune से AIS-140 के अनुरूप VLTD एवं इमरजेंसी बटन का टाईप अप्रूवल सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है।

निदेशानुसार प्राधिकृत जाँच एजेंसी से प्राप्त टाईप अप्रूवल सर्टिफिकेट के आलोक में M/s Arya Omnitalk Wireless Solutions Pvt. Ltd. को सार्वजनिक सेवा यानों में निम्नांकित शर्तों के साथ VLTD एवं इमरजेंसी बटन लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sl. No	Detail as per Type approval Certificate as CMVR	
1	Name of Manufacturer & Address	M/s Arya Omnitalk Wireless Solutions Pvt. Ltd. Unit no. A-202, Summer Court Building Magarpatta City Hadapsar, Pune, Maharashtra - 411013.
2	Agency TAC no. & Date COP no. & Date	ARAI, Pune AR9049 Dated 03-09-2024 AR9049 Dated 03-09-2024
3	Test Report no. & Date	ARAI/AED/20242025/3000039010/CT/1171 Dated 03-09-2024
Detail of Vehicle Tracking Device and Emergency button		
4	Vehicle Tracking Device	AUTOTRAX 7E
5	Emergency Button	EMR01
6	GNSS Chip Make & Module	GOTOP, GT-1612

Terms & Conditions

1. बिहार में सार्वजनिक सेवा वाहन में केवल Empanelled VLT Model का उपयोग किया जाएगा।
2. VLTD निर्माता यह अंडरटेकिंग देंगे कि यदि उनका VLT यंत्र का परीक्षण एजेंसी द्वारा Authorisation/Certification किसी कारण से रद्द या निलंबित कर दिए जाता है तो वे इसकी सूचना अविलंब परिवहन विभाग को देंगे तथा बिहार राज्य में सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए VLT Model का विक्रय नहीं करेंगे परंतु पहले से विक्रय एवं वाहनों में लगाये गए VLT उपकरण के लिए Service एवं Support की सुविधा जारी रखेंगे।
3. VLTD निर्माता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास Call Centre/MIS हो या कोई अन्य समरूप व्यवस्था करनी होगी ताकि end users को Query या कोई अन्य issues की जानकारी उपभोक्ता को दी जा सके तथा उनका निराकरण उनके स्तर से हो सके।
4. VLTD निर्माता द्वारा स्वयं अथवा अपने अधिकृत विक्रेता (RFC) को नियुक्त करेगा जो राज्य में RFC में VLT उपकरण को बेचने, स्थापित करने और अन्य सेवा देने के लिए प्राधिकृत होगा एवं इसके लिए पूर्ण जिम्मेवार होगा।
5. VLT उपकरण निर्माताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत एजेंसियों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि VLT उपकरण के साथ एक active cellular plan जुड़ा हो, जो 8 साल से अधिक उम्र के लोक सेवा यानों के मामले में न्यूनतम 1 साल की वैधता वाला हो तथा 8 साल से कम उम्र के लोक सेवा यानों के मामलों में न्यूनतम 2 साल की वैधता वाला हो।
6. VLTD निर्माता कंपनी अथवा अधिकृत विक्रेता (RFC) के पास कंप्यूटर, इंटरनेट, आधिकारिक फोन नंबर जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ होना आवश्यक है जिससे end users को सहायता दिया जा सके।
7. परिवहन विभाग, बिहार द्वारा जारी निर्देश तथा लागू नियमों एवं अधिनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किये जाने पर VLTD निर्माता कंपनी/अधिकृत विक्रेता RFC को दिया गया Authorisation/Certification निलंबित किया जा सकेगा।
8. परिवहन विभाग, बिहार द्वारा VLT Firmware विनिर्देश को संशोधित परिमार्जित/परिवर्धित करने या मौजूदा विनिर्देश में अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ने का अधिकार होगा।
9. VLTD निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता (RFC) अपने आवेदन तैयार करने और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को स्वयं वहन करेंगे। परिवहन विभाग, बिहार किसी भी मामले में उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
10. VLTD निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता द्वारा दो साल की वैधता के साथ 30,00,000 /- (तीस लाख रुपये) की बैंक गारंटी जमा किया जाएगा। यदि VLTD निर्माता या उनके RFC के द्वारा कोई अनियमितता पाई जाती है, तो परिवहन विभाग, बिहार द्वारा VLTD की बैंक गारंटी के एक हिस्से या बैंक गारंटी की संपूर्ण राशि को जब्त किया जा सकेगा।
11. VLT उपकरण के संबंध में कोई शिकायत पाये जाने की स्थिति में VLT उपकरण निर्माता अथवा उनसे संबंधित RFC के द्वारा 48 घंटे के अंदर उसका समाधान करना अनिवार्य होगा। उसके लिए निर्माता कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके RFC के पास VLT का पर्याप्त स्टॉक रहना अनिवार्य है। उपलब्ध स्टॉक की जाँच समय-समय पर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।
12. पंजीकरण रद्द करना – यदि VLTD की निर्माता कंपनी अथवा अधिकृत विक्रेता RFC स्तर पर कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, तो परिवहन विभाग, बिहार VLTD निर्माता/पंजीकृत RFC या प्रेचाइजी के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा और उस विशेष VLTD मॉडल को परिवहन विभाग द्वारा जारी पंजीकरण/सूचीबद्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के निलंबित या रद्द कर सकेगा।

13. VLTD से सम्बन्धित केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली/AIS-140 एवं समय-समय पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भविष्य में निर्गत आदेश/दिशा निर्देश आदि या अन्य किसी प्रकार को वांछित संशोधन के आलोक में किसी परिवर्तन का अधिकार परिवहन विभाग, बिहार को होगा।
14. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० RT-16011/7/2020-T, दिनांक-22.02.2021 एवं परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1557 दिनांक 07.03.2022 में निहित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
15. VLT उपकरण निर्माता कंपनियों के सक्षम प्राधिकार द्वारा अपना वितरक/डीलर नियुक्त किया जाएगा एवं उसकी सूचना संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
16. VLTD के संबंध में भारत सरकार अथवा परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेश का अनुपालन कंपनी/वितरक/डीलर द्वारा किया जाएगा।
17. इस सम्बन्ध में सभी प्रकार का न्यायिक विवाद पटना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निष्पादित किया जाएगा।

ह०/—

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 8/18

पटना, दिनांक- 23/9/2025

प्रतिलिपि :- सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/श्री रंजन कुमार सिंह, वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मोटरयान निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, M/s Arya Omnitalk Wireless Solutions Pvt. Ltd., Add- Unit no. A-202, Summer Court Building Magarpatta City Hadapsar, Pune, Maharashtra - 411013, Email- kyermarkar@aryaomnitalk.com /आई.टी. मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/श्री राजन, प्रोजेक्ट मैनेजर (C&CC), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।